रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267] नई दिल्ली, सोमवार, मई 30, 1994/ज्येष्ठ 9, 1916
No. 267] NEW DELHI, MONDAY, MAY 30, 1994/JYAISTHA 9, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

कार्यालय : प्रधान समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, वडोदरा

अधिसूचना

संख्या : 5/94—सी. शु. (गै. टे.)

वडोदरा, 23 मई, 1994

का. आ. 415 (अ) :—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली की दिनांक 4-10-90 की अधिसूचना संख्या 64/90—सी. शु. (गै. टे.) के जरिए

संशोधित दिनांक 18-6-90 की अधिसूचना संख्या 34/90--सी. शु. (गै. टे.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र शासित प्रदेश दमण और दीव स्थित गांव कडैया, एयर-पोर्ट रोड, नानी दमण, को भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग, औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय, ई ओ यू अनुभाग, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित समिति प्रयोजनार्थ शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम लगाये जाने के मोसित प्रयोजन हेतु सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 के अन्तर्गत एतद्द्वारा वेयर हाउसिंग स्टेशन घोषित किया जाता है।

[फा. सं. VIII/40-12/पीसी यू/94]

एस. डी. मोहिले, प्रधान समाहर्ता

केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क, वडोदरा

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

OFFICE OF THE PRINCIPAL COLLECTOR OF CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE, VADODARA

NOTIFICATION

No. 5/94-CUS(NT)

Vadodara, the 23rd May, 1994

S.O 415(E).—In exercise of the powers conferred by Notification No. 34/90-CUS(NT) dated 18-6-90 as amended by Notification No. 64/90-CUS(NT) dated 4-10-90 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi, Village Kadaiya, Airport Road, Nani Daman in the Union Territory of Daman and Diu is hereby declared to be a warehousing station under section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for the limited purpose of setting up 100 per cent Export Oriented Undertakings only, approved by the Government of India, Ministry of Industry, Department of Industrial Development, Secretariat for Industrial Approvals, EOU Section, New Delhi.

[F. No. VIII/40-12/PCU/94]

S. D. MOHILE, Principal Collector, Customs & Central Excise, Vadodara.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994